रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2008/ज्येष्ठ 9, 1930
No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, MAY30, 2008/JYAISTHA 9, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

सा.का.नि. 414(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 6 और 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) चौथा संशोधन नियम, 2008 है ।
 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—
 (i) अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 98 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानदण्ड	
1	2	3	4	
"99	स्पंज लौह संयंत्र (रोटरी किलन)	क. उत्सर्जन मानक*		
		विविक्त पदार्थ	ईंधन का प्रकार	सांद्रण के लिए सीमा मान
			कोयला	100 मि.गा./सा.घन मी.
			गैस	50 मि.गा./सा.घन मी.
		कार्बन मोनोक्साइड (आयतन/आयतन)	कोयला/गैस	1 %
		चिमनी की ऊंचाई ** (न्यूनतम)	कोयला/गैस	30.0 मीटर

टिप्पण :—

* चिमनी उत्सर्जन में उत्सर्जन को 12% कार्बन डाईऑक्साइड पर सामान्य किया जाएगा ।

** चिमनी की ऊंचाई की गणना एच = 14.0 क्यू $^{0.3}$ के अनुसार की जाएगी जहां एच ऊंचाई है तथा क्यू सल्फर डायक्साइड (SO_2) का कि. ग्रा./घंटा में उत्सर्जन की मात्रा है । जैसे

SO_2 (कि.गा./घंटा)	ऊंचाई (मीटर)
12.68 तक	30
12.69-33.08	40
33.09-69.06	50
69.07-127.80	60
127.81-213.63	70

1	2	3		4
	(डी-डस्टिंग इकाई)	विविक्त पदार्थ	मौजूदा इकाई	नई इकाई
		(मि.ग्रा./घन मी.)	100	50

टिप्पण :—

(i) डी-डस्टिंग इकाई से जुड़ी चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 30.0 मीटर होना आवश्यक है ।

(iii) यदि डी-डस्टिंग इकाई आफ्टर बर्नर चैम्बर (ए बी सी)से जुड़ी हुई है तो, उत्सर्जन, डी-डस्टिंग इकाई के लिए उत्सर्जन प्रबोधन की व्यवस्था अलग से होने पर (न्यूनतम ऊंचाई 30.0 मीटर) सांझी चिमनी के माध्यम से उत्सर्जित होंगे ।

ख. अस्थायी उत्सर्जन मानदण्ड

(रोटरी क्लिन/ डी-डस्टिंग इकाई)	विविक्त पदार्थ	मौजूदा इकाई	नई इकाई
	(माइक्रो ग्रा./घन मी.)	3000	2000

टिप्पण :—

(i) विद्यमान उद्योग अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष पश्चात् 2000 माइक्रो ग्रा./घन मी. के मानदण्डों का अनुपालन करेंगे ।

(ii) अस्थायी उत्सर्जन, अस्थायी उत्सर्जन के स्रोत से 10.0 मीटर की दूरी पर निम्नानुसार प्रबोधित किए जाएंगे :—

क्षेत्र	प्रबोधन स्थल
कच्चा माल हथालन क्षेत्र	वेगन टिपलर, स्क्रीन एरिया, स्थानांतरण बिंदु, स्टॉक बिन एरिया
दलित्र क्षेत्र	दलित्र संयंत्र, वायब्रेटिंग स्क्रीन, स्थानांतरण बिंदु
कच्चा माल स्म्भरण क्षेत्र	सम्भरक क्षेत्र, मिश्रक क्षेत्र स्थानांतरण बिंदु
शीतलन विसर्जन क्षेत्र	बड़े आकार का शीतलन विसर्जन क्षेत्र, स्थानांतरण बिंदु
उत्पाद प्रसंस्करण क्षेत्र	मध्यवर्ती स्टॉक धानी क्षेत्र, जांच संयंत्र, चुम्बकीय पृथक्कीकरण इकाई, स्थानांतरण बिंदु बड़े आकार का विसर्जन क्षेत्र, उत्पाद पृथकीकरण क्षेत्र, बैगिंग क्षेत्र
अन्य क्षेत्र	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथाविर्निदिष्ट

ग. बहि:स्राव मानदण्ड

पी एच	5.5–9.0
कुल निलम्बित ठोस	100 मिली ग्रा./लीटर
तेल और ग्रीस	10 मिली ग्रा./लीटर
रासायनिक ऑक्सीजन मांग	250 मिली ग्रा./लीटर

टिप्पण:-

(i) जल के पुन: प्रयोग और पुन: चक्रण तथा 'शुन्य बहि:स्राव' बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ।

(ii) बहि:स्राव में वर्षा जल के सम्मिश्रण से बचने के लिए उद्योग के प्रागंण में वर्षा जल निकासी हेतु नालियां बनाई जायें ।

[फा. सं. क्यू-15017/95/2000-सीपीडब्ल्यू (पार्ट)]

आर.के.वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:-मूल नियम भारत के राजपत्र में का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 433 (अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ. 3(अ) तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ. 12 (अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (अ) तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ. 23 (अ) तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93 (अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, सा. का. नि. 95 (अ) तारीख 12 फरवरी, 1992, सा.का.नि. 329 (अ) तारीख 13 मार्च, 1992, सा.का.नि. 475 (अ) तारीख 5 मई, 1992, सा. का. नि.797(अ) तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा. का. नि. 386 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा.का.नि. 422(अ) तारीख

IndiaCode

19 मई,1993, सा.का.नि. 801(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 176(अ) तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा.का.नि. 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर 1997, सा.का.नि. 504(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998, और सा.का.नि. 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि. 682(अ) तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा.का.नि. 742(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा.का.नि. 72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2001, सा.का.नि. 54(अ) तारीख, 22 जनवरी, 2002, सा.का.नि. 371(अ) तारीख 17 मई, 2002, सा.का.नि. 489(अ) तारीख 9 जुलाई 2002, का.आ. 1088 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002 और सा.का.नि. 849(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सा.का.नि. 520(अ) तारीख 1 जुलाई, 2003, सा.का.नि. 92(अ) तारीख 29 जनवरी 2004, सा.का.नि. 448(अ) तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सा.का.नि. 520 (अ) तारीख 12 अगस्त, 2004, सा.का.नि. 272 (अ) तारीख 5 मई, 2005, सा.का.नि. 315(अ) तारीख 16 मई, 2005, सा.का.नि. 546(अ) तारीख 30 अगस्त, 2005, सा.का.नि. 46(अ) तारीख 3 फरवरी, 2006, सा.का.नि. 464(अ) तारीख, 7 अगस्त, 2006 और सा.का.नि. 566 (अ) तारीख 29 अगस्त, 2007, सा.का.नि. 704 (अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007 सा.का.नि. 186(अ), तारीख 18 मार्च, 2008, सा.का.नि. 280(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008 और सा.का.नि. 344 (अ), तारीख 7 मई, 2008 द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2008

G.S.R. 414(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fourth Amendment Rules, 2008.
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—
 (i) in schedule I, after serial number 98 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard	
1	2	3	4	
"99	**Sponge Iron Plant**		**A. Emission Standards***	
	(Rotary Kiln)	Particulate matter	Fuel Type	Limiting value for concentration
			coal	100 mg/Nm³
			gas	50 mg/Nm³
		Carbon Monoxide (Vol./Vol.)	coal/gas	1%
		Stack Height**(minimum)	coal/gas	30.0 m
		Note: —		
		* Emission shall be normalized at 12% CO_2 in stack emission.		
		** Stack height shall be calculated as $H=14.0\ Q^{0.3}$ where Q is emission of Sulphar Dioxide (SO_2) in kg./hr. i.e.		
		SO_2 (kg/hr)	Height (metre)	
		up to 12.68	30	
		12.69—33.08	40	
		33.09—69.06	50	
		69.07—127.80	60	
		127.81—213.63	70	
	(De-dusting unit)	Particulate matter (mg/m^3)	Exiting unit	New unit
			100	50
		Note:—		
		(i) Stack attached to de-dusting unit shall have minimum height of 30.0 metre.		
		(ii) If, De-dusting unit is connected to After Burner Chamber (ABC), emission shall be emitted through common stack (minimum height 30.0 metre) having separate arrangements for emission monitoring for de-dusting unit.		

IndiaCode

1	2	3	4
		B. Fugitive Emission Standards	
	(Rotary Kiln/De-dusting unit)	Particulate matter ($\mu g/m^3$)	Exiting unit 3000 / New unit 2000
		Note :—	
		(i) the existing industry shall comply with a standard of 2000 $\mu g/m^3$ after one year from the date of notification.	
		(ii) Fugitive emission shall be monitored at a distance 10.0 metre from the source of fugitive emission as per following :	
		Area	Monitoring location
		Raw material handling area	Wagon tippler, Screen area, Transfer points, Stock bin area
		Crusher area	Crushing plant, vibrating screen, transfer points
		Raw material feed area	Feeder area, Mixing area, Transfer points
		Cooler discharge area	Over size discharge area, Transfer points
		Product processing area	Intermediate stock bin area, Screening plant, Magnetic separation unit, Transfer points, Over size discharge area, Product separation area, Bagging area
		Other areas	as specified by State Pollution Control Board/Pollution Control Committee
		C. Effluent Standards	
		pH	5.5—9.0
		Total suspended solids	100 mg/l
		Oil & grease	10 mg/l
		Chemical oxygen demand	250 mg/l
		Note :—	
		(i) All efforts shall be made to reuse and re-circulate the water and to maintain 'Zero discharge'.	
		(ii) Stormwater drain shall be provided within the premises of the industry so as to avoid mixing with effluent.".	

[F. No. Q-15017/95/2000-CPW (Pt.)]

R.K.VAISH, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O.844 (E) dated 19th Novermber, 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913 (E) dated the 24th October, 1989, S.O. 12 (E) dated the 8th January, 1990, G.S.R.742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January,1991,G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R 95(E) dated the 12th February,1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R.631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7 (E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002 and G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated the 1st July, 2003, G.S.R. 92(E) dated the 29th January, 2004, G.S.R. 448(E) dated the 12th July, 2004, Corrigenda G.S.R. 520(E) dated the 12th August, 2004, G.S.R. 272(E) dated the 5th May, 2005, G.S.R. 315(E) dated the 16th May, 2005, G.S.R. 546(E) dated the 30th August, 2005, G.S.R. 46(E) dated the 3rd February, 2006, G.S.R. 464(E) dated the 7th August, 2006, G.S.R. 566(E) dated the 29th August, 2007, G.S.R. 704(E) dated the 12th November, 2007, G.S.R. 186(E) dated the 18th March, 2008, G.S.R. 280(E) dated the 11th April, 2008 and G.S.R. 344(E) dated the 7th May, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.